भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 932

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सकों की कमी

932. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आयुष चिकित्सकों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में चिकित्सकों की अनुमानित कमी कितनी है;

(ख) इस कमी को दूर करने और देश में आयुष चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं और प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(ग) वर्तमान में देश के ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों सहित तमिलनाडु के अरनी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत आयुष चिकित्सकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार भविष्य में आयुष चिकित्सकों के प्रशिक्षण, भर्ती और सेवा में बने रहने की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय लागू करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): देश में आयुष चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, क्योंकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। हालाँकि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बोर्डों/परिषदों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.01.2023 तक देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयुष पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की कुल संख्या **संलग्नक** में दी गई है।

(घ) और (ङ): चूँकि जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए आयुष चिकित्सकों के प्रशिक्षण, भर्ती और उनके प्रतिधारण संबंधी उपायों को लागू करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। आयुष मंत्रालय, आयुर्ज्ञान नामक एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के माध्यम से व्यावसायिक दक्षता उन्नयन के उद्देश्य में सहायता करता है, जिसके अंतर्गत आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

*****

संलग्नक

दिनांक 01.01.2023 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयुष पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की कुल संख्या

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	आंध्र प्रदेश	**6173**
2	अरुणाचल प्रदेश	**551**
3	असम	**3377**
4	बिहार	**74223**
5	छत्तीसगढ़	**7496**
6	दिल्ली	**11863**
7	गोवा	**1634**
8	गुजरात	**60998**
9	हरियाणा	**12595**
10	हिमाचल प्रदेश	**7676**
11	जम्मू एवं कश्मीर	**5447**
12	झारखंड	**1180**
13	कर्नाटक	**33374**
14	केरल	**49014**
15	मध्य प्रदेश	**45481**
16	महाराष्ट्र	**178162**
17	मणिपुर	**0**
18	मेघालय	**552**
19	मिजोरम	**273**
20	नागालैंड	**183**
21	ओडिशा	**15577**
22	पंजाब	**16835**
23	राजस्थान	**22723**
24	सिक्किम	**0**
25	तमिलनाडु	**19332**
26	तेलंगाना	**23863**
27	त्रिपुरा	**796**
28	उत्तर प्रदेश	**96619**
29	उत्तराखंड	**4526**
30	पश्चिम बंगाल	**51048**
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	**0**
32	चंडीगढ़	**197**
33	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	**0**
34	लद्दाख	**0**
35	लक्षद्वीप	**0**
36	पुदुचेरी	**0**
	कुल	**751768**

स्रोत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड/परिषदें